# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 99/2019

दिनांक :13.06.2019

महेन्द्र कुमार पिता चम्पालाल जाति वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।

.........प्रार्थी

**बनाम**

1. शंकर लाल पिता कालू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. प्यारा पिता पिता कालू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. छगनलाल पिता शंकर जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. लादू पिता भग्गा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : **आदेश** : –

दिनांक1306.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पिता चम्पालाल जाति वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)ने जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम चान्द जी की खेडी पटवार हल्का चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की **सरहद मे स्थित भुमि आराजी नम्बर 1272/1054 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा,आराजी संख्या 1054/2 पर रकबा 3 बीघा 10बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 05 भुमि** स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 500/रू की पत्थरगढी बवक्त प्रार्थी से अदा करेगा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम चान्द जी की खेडी पटवार हल्का चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की **सरहद मे स्थित भुमि आराजी नम्बर 1272/1054 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा,आराजी संख्या 1054/2 पर रकबा 3 बीघा 10बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 05 भुमि** बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

Scanned by CamScanner